संख्या- 35/2026/49-3099/10/2021-I/1483558/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 01 अक्टूबर, 2026

विषय:- सहकारिता विभाग की सहकारी शोध प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/763447/2026/लेखा-अ/2026-27, दिनांक 02.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में '' सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान योजनान्तर्गत वर्ष 2026- 27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 200.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 18 के अधीन लेखाशीर्ष '' 2425- सहकारिता, 003-प्रशिक्षण, 05-सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान, 20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैर-वेतन) हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 200.00 लाख के सापेक्ष सहकारिता अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- I/1360551/2026, दिनांक 11.06.2026 द्वारा निर्गत प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 66.66 लाख के उपरांत अवशेष धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रूपये 133.34 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रूपये 66.66 लाख (रूपये छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र ) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित नियम/शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

**<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों-</u>**

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
(3) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रुप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा ।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
(5) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।
(6) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(8) स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।
(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
(12) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(13) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगे।
(14) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना गाईडलाइन / दिशा- निर्देश तथा इस संबंध में समय- समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गये दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण् /सत्यापन का दायित्व आयुक्त् एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ तथा निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ को होगा।
(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये को चालू वित्तीय वर्ष 2026- 27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 018 लेखा शीर्षक 2425000030500 सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-2-147-X-2026-27 दिनांक: 25-9-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
5) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (शिक्षा), सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
6) निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7) आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालय आयुक्त् एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
8) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार सिंह )
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।